

प्रेस नोट सं0-09

दिनांक- 09.05.2025

सराहनीय कार्य जनपद अमेठी

“नशा मुक्त अमेठी अभियान” के अन्तर्गत थाना बाजार शुक्ल पुलिस द्वारा कुल 40 ग्राम स्मैक के साथ 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार ।

पुलिस अधीक्षक अमेठी श्रीमती अपर्णा रजत कौशिक के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक अमेठी श्री हरेन्द्र कुमार के पर्यवेक्षण में जनपद अमेठी में अपराध एवं अपराधियों के धर पकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी मुसाफिरखाना श्री अतुल कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में “नशा मुक्त अमेठी अभियान” के अन्तर्गत दिनांक 09.05.2025 को थाना बाजारशुक्ल पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु, वाहन के दौरान 01 नफर अभियुक्त सुनील कुमार उर्फ घंघूरु पुत्र कृष्ण कुमार निवासी तेतारपुर थाना बाजारशुक्ल जनपद अमेठी उम्र करीब 25 वर्ष को गिरफ्तार किया गया । तलाशी से अभियुक्त के कब्जे से 40 ग्राम स्मैक बरामद हुआ । गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में थाना मोहनगंज, कमरौली पर चोरी व बाजारशुक्ल पर पॉक्सो एक्ट की धाराओं में अभियोग पंजीकृत है । गिरफ्तारी व बरामदगी के संबन्ध में थाना बाजार शुक्ल पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

- सुनील कुमार उर्फ घंघूरु पुत्र कृष्ण कुमार निवासी तेतारपुर थाना बाजारशुक्ल जनपद अमेठी उम्र करीब 25 वर्ष ।

बरामदगी-

- कुल 40 ग्राम स्मैक ।

पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

- मु0अ0सं0 119/25 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना बाजार शुक्ल जनपद अमेठी ।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. थानाध्यक्ष दयाशंकर मिश्रा थाना बाजार शुक्ल जनपद अमेठी
2. उ0नि0 धर्मेन्द्र बहादुर थाना बाजार शुक्ल जनपद अमेठी ।
3. हे0का0 केशव राम वर्मा थाना बाजार शुक्ल जनपद अमेठी ।
4. का0 अमित कुमार थाना बाजार शुक्ल जनपद अमेठी ।
5. का0 रामनरेश राजभर थाना बाजार शुक्ल जनपद अमेठी ।
6. का0 अक्षय कुमार थाना बाजार शुक्ल जनपद अमेठी ।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 232/20 धारा 379, 411, 413 भादवि थाना मोहनगंज जनपद अमेठी ।
2. मु0अ0सं0 124/24 धारा 379, 411, 413 भादवि थाना कमरौली जनपद अमेठी ।
3. मु0अ0सं0 51/25 धारा 137(2), 87, 127(2), 115(2) बीएनएस व 16/17 पॉक्सो एक्ट थाना बाजार शुक्ल जनपद अमेठी ।